न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–61/2026

GCMS No.- 2026/70

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. श्री गुलाब राम पुत्र शैतानराम रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर की दुकान नम्बर 23 नागौर 2. श्री नरेन्द्र पुत्र घेवरराम निवासी–सालवा हाल रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर की दुकान नम्बर 23 नागौर 3. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र घेवरराम निवासी–साडोकन तहसील–नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे है।

निर्णय दिनांक :–08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस व दो गैस भट्टियॉ मय पाईप व रेगूलेटर को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजने के बावजूद उनकी ओर से आज तक कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रार्थी की प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 17.02.2026 को श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर की दुकान नम्बर 23 नागौर पर पहूंचे। मौके पर श्री नरेन्द्र पुत्र घेवरराम व श्री गुलाब राम पुत्र शैतानराम उपस्थित मिले। जॉच दल द्वारा दुकान के परिसर की जॉच करने पर दुकान के परिसर में एक घरेलू गैस का सिलेण्डर व एक व्यावसायिक गैस का सिलेण्डर गैस भट्टी के पाइप के माध्यम से जुड़े हुए पाये गये जिससे खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर जो भट्टी से जुड़ा हुआ था, को भट्टी से अलग कर जॉच दल के सामने ही एक व्यक्ति लेकर मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर पश्चात् कोतवाली पुलिस थाना नागौर के कांस्टेबल श्री घमण्डाराम मौके पर पहुंचे, तब जॉच दल ने मौके पर श्री गुलाबराम को उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर लाने हेतु कहा गया किन्तु उसने लाने से मना कर दिया जिसके बाद मौके पर एक व्यावसायिक सिलेण्डर जिसका एस.आर.नम्बर दिखाई नहीं दे रहा था, जो बीपीसीएल कम्पनी का होने पर इसके गैस कनेक्शन व रिफिल वाउचर गैर सायल से मांगने पर उन्होने बताया कि उनके पास इससे सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं हैं। अप्रार्थीगण गुलाबराम द्वारा उक्त दुकान अप्रार्थी श्री रविन्द्र पुत्र घेवरराम को आवंटित होना बताया इसलिए उसे इस प्रकरण में पक्षकार गैर सायल दर्ज किया गया हैं। बिना किसी दस्तावेज के इस प्रकार के सिलेण्डरों का उपयोग करना अप्रार्थीगण श्री गुलाबराम, श्री नरेन्द्र का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व दो गैस भट्टियॉ मय पाईप व रेगूलेटर जब्त सरकार किया गया एवं उक्त एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व दो गैस भट्टियॉ मय पाईप व रेगूलेटर को श्री गणपत पुत्र श्री खेराज राम प्रतिनिधि मैसर्स नागौर गैस सर्विस,नागौर को प्रकरण के निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये है।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस व दो गैस भट्टियॉ मय पाईप व रेगूलेटर को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ हैं। प्रस्तुत प्रकरण के

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल गुलाबराम स्वयं के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट हैं कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल गुलाबराम की उपस्थिति में की गई हैं एवं उनके द्वारा गैस कनेक्शन व रिफिल वाउचर सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना गैस कनेक्शन के ही व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में जब्त सुदा एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस व दो गैस भट्टियों मय पाईप व रेगूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावें तथा बाकि सामग्री को नियमानुसार निलाम किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावें। यह राशि राजकीय घोषित की जाती हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर